राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :518, 519 व 520 / 2016..... जिला : दौसा

मैसर्स जे.आर..इण्डस्ट्री, दौसा बनाम सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर, वृत–दौसा व अपीलीय प्राधिकारी तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

08.03.2016

अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया, अभिभाषक एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त तीनों अपीलें मय स्थगन पत्र अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.02.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर, वृत–दौसा (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा)द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिए पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.12.2015 के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एव शास्तियॉ आरोपित की गई है । अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्तियों पर रोक लगाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए कर एवं ब्याज राशियों की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है :–

अ.सं.	कर	ब्याज	स्थगन हेतु आवेदित राशि
518 / 2016	2,26,218 / –	1,13,109 / –	3,39,327 / –
519 / 2016	20,419 / –	7963 / –	28,382 / –
520 / 2016	39,586 / –	10,292 / –	49,878 / –

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशियों में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज की वसूली पर रोक लगाने से इन्कार करने संबंधी किसी प्रकार के कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया गया है। उनके द्वारा सृजित मांग राशि बाबत प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि कर एवं ब्याज की वसूली पर रोक लगाने से इन्कार करने संबंधी आदेश में किसी प्रकार के कारणों का अंकन अपीलीय अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्यात जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य